लालसोट जिला दौसा (राज०)

13/7/24 पत्रावली लोक अदालत कैम्प मे पेश हुई प्रार्थी स्वयं उपस्थित। सीमाज्ञान रिपोर्ट ग्रा०प०भगवती की पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट जरिये पुलिस इमदाद पत्थरगढी किया जाना संभव है।

अतः प्रार्थी का प्रा० पत्र स्वीकार किया जाता है व तहसीलदार मिलिना को आदेश दिये जाते है कि प्रा० पत्र मे अंकित आराजीयात का मुताबिक सिमाज्ञान पत्थरगढी कायम की जावे। उक्त आदेश मे कब्जा सुपुर्दगी की कार्यवाही शामिल नही रहेगी। इस आशय की तहरीर तहसीलदार को जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम दाखील दफ्तर हो।

सदस्य
लोक अदालत बैंच
लालसोट, जिला-दौसा